उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1158/ग्यारह-9(52)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(38)-2017

लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 18 अगस्त, 2017 से सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1014/ग्यारह-9(52)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(31)-2017 दिनांक 21 जुलाई, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,–

(क) प्रस्तर–(1) में, शब्द व अंक "5000 रुपये अथवा उससे अधिक" के स्थान पर शब्द व अंक "50000 रुपये अथवा उससे अधिक" रख दिये जायेंगे ;

(ख) प्रस्तर–(2) में, शब्द व अंक "1लाख रुपये या उससे अधिक" के स्थान पर शब्द व अंक "50000 रुपये या उससे अधिक " रख दिये जायेंगे ;

(ग) प्रस्तर–(3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) ई-कामर्स आपरेटरों अथवा उनके द्वारा अधिकृत परिवाहकों, कुरियर अभिकर्ताओं या परिदान अभिकर्ताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से 50000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के कराधेय माल का परिवहन किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश के भीतर किसी एकल व्यक्ति को परिदान हेतु राज्य के भीतर माल का परिवहन किये जाने अथवा अभिवहन एवं भण्डारण किये जाने के दौरान ऐसे माल के साथ संलग्न प्रपत्र ई-वे बिल-03 रखा जाएगा।" ;

(घ) प्रस्तर–(4) में, शब्द व अंक "5000 रुपये या उससे अधिक" के स्थान पर शब्द व अंक "50000 रुपये या उससे अधिक" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।